सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

**राजस्व प्रार्थना पत्र स0 12/2016**

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

हिन्दुडा पुत्र लादू गूर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर राज.

----प्रार्थी

♠बनाम♠

1. कालूराम पुत्र लालू गूर्जर
2. गोपाल पुत्र लालू गूर्जर
3. गणपत दास पुत्र मांगीदास साधू फोत
   3–1 सोहनी पत्नि गणपतदास
   3–2 घीसी पुत्री गणपतदास
   3–3 सुशीला पुत्री गणपतदास
   3–4 मन्नी पुत्री गणपतदास
   3–5 सीमा पुत्री गणपतदास
4. मोती पत्नि लालू गूर्जर
5. भैरूलाल पुत्र लालू गूर्जर
6. रामलाल पुत्र कल्याण गूर्जर
7. कालू पुत्र कल्याण गूर्जर
8. सोहनी पत्नि रघुनाथ गूर्जर
9. रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ गूर्जर
10. ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ गूर्जर
11. संतरा पुत्री रघुनाथ गूर्जर
12. महावीर पुत्र बरदा गूर्जर
13. मोत्या पुत्री बरदा गूर्जर
14. सायर पुत्री बरदा गूर्जर
15. सजना पुत्री बरदा गूर्जर
   समस्त निवासीगण जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तह. सावर जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

दिनांक 10.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प घटियाली में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम जसवन्तपुरा तहसील सावरृ जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 220 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 76 जो कि प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 0.11 हैक्ट, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.09 हैक्ट में होकर खसरा नम्बर 61 रकबा 0.34 हैक्ट, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.28 हैक्ट, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.30 हैक्ट, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.12 हैक्ट, खसरा नम्बर रकबा 0.12 के मध्य होकर खसरा नम्बर 75 रकबा 0.03 हैक्ट में से प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। दिनांक 10.10.2016 को अप्रार्थीगण की 2 व 3 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 फोत होने से दिनांक 07.11.20174 को वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया। दिनांक 12.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 की ओर से श्री घनश्याम वैष्णव एडवोकेट ने पावर पेश किया। प्रतिवादी संख्या 14 व 15 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार सावर द्वारा दिनांक 05.04.2018 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 76 व 76/752 में आने जाने हेतु आराजी खसरा नम्बरान 48,47,62,61,73 व 74 में होकर वर्तमान में मौके पर करीब 12–13 फुट चौडा रास्ता बना हुआ है, जिस हेतु उपस्थित ग्रामवासियों ने भी बताया कि उक्त प्रचलित रास्ता काफी वर्षो पुराना है और इसी रास्ते में होकर प्रार्थी व उसका परिवार अपनी खातेदारी भूमि तक आता–जाता रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक आने–जाने हेतु इस प्रचलित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जवाब सरकार शामील पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। चूंकि प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रेमाफेसाई केस बनता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर के उक्त खसरान नम्बर में से रास्ते हेतु जवाब सरकार अनुसार उपयोग में आने वाली आराजी का विवरण मय वर्तमान पंजीयन दर निम्नानुसार हैः–

| खसरा नम्बर | खातेदार का नाम | कुल रकबा | रास्ते के रूप में गया रकबा | आनुपातिक क्षेत्रफल | डीएलसी दर अनुसार राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | कालूराम, गोपाल पि. लालू गूर्जर | 0.11 है. | 40X4 = 160 वर्ग मी. | 0.02 है. | 0.02 X 233640 = 4672.80 रूपये |
| 47 | मोती पत्नि लालू, भैरूलाल पुत्र लालू गूर्जर | 0.09 है. | 24X4 = 96 वर्ग मी. | 0.01 है. | 0.01 X 233640 = 2336.40 रूपये |
| 61 | गणपतदास पुत्र मांगूदास साधू | 0.34 है. | 13X4 = 52 वर्ग मी. | 0.01 है. | 0.01 X 233640 = 2336.40 रूपये |
| 62 | गणपतदास पुत्र मांगूदास साधू | 0.28 है. | 51X4 = 204 वर्ग मी. | 0.02 है. | 0.02 X 233640 = 4672.80 रूपये |
| 73 | कालूराम, गोपाल पि. लालू गूर्जर | 0.12 है. | 26X4 = 104 वर्ग मी. | 0.01 है. | 0.01 X 233640 = 2336.40 रूपये |
| 74 | महावीर पुत्र बरदा, मोत्या, सायर, सजना पुत्रियां बरधा गूर्जर | 0.12 है. | 30X4 = 120 वर्ग मी. | 0.01 है. | 0.01 X 233640 = 2336.40 रूपये |
| कुल रकबा एवं कुल राशि | | | | 0.08 है. | 18691.00 रूपये |

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार निर्णय की पालना में राशि जमा राजकोष कर वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी